(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 15/2025-State Tax(Rate)

Dated: 22/09/2025

No. F.3 (27)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/930 - In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-sections (1) and (3) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-sections (1) of section 16 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) , the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 in the notification No.11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, section 3, sub-section (I), *vide* number F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017 namely:-

In the said notification,-

(1) with effect from the 22nd day of September, 2025,-

(a) in the Table, -

(i) against serial number 3, in column (3), -

(A) against item (vii), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(B) against item (viii), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(C) against item (x), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(ii) against serial number 7, in column (3), -

(A) against item (i), -

(I) for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(II) in column (5), the following shall be inserted, namely: -

"Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]";

(B) in item (vi), in the Explanation, in clause (a), after the words "covered by items", the brackets and figure "(i)," shall be inserted;

(iii) against serial number 8, in column (3),-

(A) against item (v), for the entry in column (4), the entry "9" shall be substituted;

(B) against item (vi), in column (4), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted;

(iv) against serial number 9,-

(A) in column (3), against sub-item (b) of item (iii) in column (4), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted;

(B) for item (iv) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
"(iv) Transport of goods in containers by rail by any person other than Indian Railways.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]
	or	
	9	-";

(C) in column (3), against item (v), in the entry in column (4), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted;

(D) for item (vi) in column (3) and the entries corresponding relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) Multimodal transportation of goods where at least two different modes of transport from the place of acceptance of goods to the place of delivery of goods are used by a multimodal transporter, where;		
(a) Transportation of goods by any mode of transport other than air.	2.5	Provided that the credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service,

		other than input tax credit of input services of transportation of goods (i.e. services of transport of goods procured from other service provider), has not been taken: Provided further that where the supplier of input service of transportation of goods to a multimodal transporter charges State tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on such input services of goods transportation in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5%, shall not be taken.: Provided also that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. Illustration: 'A' engages 'B' (multimodal transporter) for transport of goods from New Delhi to Gaya for Rs 1200, wherein 'B' uses more than one mode of transport for the movement of goods. 'B', for supplying the said service hires a GTA i.e., 'C' for Rs 600 who charges State tax at 9%. 'B' also hires 'D', a Container Transport Operator for Rs 400 who charges State tax at 2.5%, for supplying their services. 'B' shall be entitled to take input tax credit on the above-mentioned input services of

		transportation of goods as under: (i) Only to the extent of Rs. 15 (2.5% of Rs. 600) and not Rs. 54 for the input service of GTA; (ii) To the extent of Rs. 10 (2.5% of Rs. 400) for the input service of container transport operator.
(b) At least one mode of transport is by air.	9	Provided that nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India. ";

(v) against serial number 10,-

(A) in column (3), against item (i), in the entry in column (4), for the figure "6", the figure "9" shall be substituted;

(B) for item (ia) in column (3) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service, other than the input tax credit of input service in the same line of business has not been taken: [Please refer to Explanation no. (iv)] Provided further that where the supplier of input service in the same line of business charges State tax at a rate higher than 2.5%, credit of input tax charged on the input service in the same line of business

		in excess of the tax paid or payable at the rate of 2.5% shall not be taken.
	or	
	9	-”;

(vi) for serial number 12 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“12	Heading 9968	(i) Postal services	9	-
		(ii) Courier services	9	-
		(iii) local delivery services (a) Supplied through electronic commerce operator where the person supplying such services is not liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017. (b) other than (a) above	9	-
		(iv) Delivery services other than (i), (ii) and (iii) above	9	-”;

(vii) against serial number 15, in column (3), against item (vi), for the entry in column (4), the entry “2.5” shall be substituted;

(viii) against serial number 21, in column (3),-

(A) item (ia), and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(B) for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-

“(ii) Other professional, technical and business services other than (i) above and serial number 38 below”;

(ix) against serial number 24, in column (3), against item (ii), for the entry in column (4), the entry “9” shall be substituted;

(x) for serial number 26 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"26	Heading 9988 (Manufacturing services on physical inputs (goods) owned by others)	(i) Services by way of job work in relation to diamonds falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975);	0.75	-";
		(ii) Services by way of job work in relation to- (a) all food and food products falling under Chapters 1 to 22 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (b) all products falling under Chapter 23 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975), except dog and cat food falling under heading 2309 of the said chapter; (c) goods falling under Chapter 30 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (d) Hides, skins and leather falling under Chapter 41 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); Provided that nothing contained in clause (d) shall apply to job-work in relation to leather goods or foot wear falling under Chapter 42 or 64 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), respectively; (e) Printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; (f) Printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract State tax @2.5% or Nil;	2.5	

		(g) Textiles and textile products falling under Chapters 50 to 63 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (h) bricks falling under Chapters 68 or 69 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract State tax @2.5%; (i) all products, other than diamonds, falling under Chapter 71 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975); (j) handicraft goods; (k) umbrella.		
		(iii) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption;	9	
		(iv) Services by way of job work other than (i), (ii), and (iii) above.	9	
		(v) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, in relation to- (a) printing of newspapers, books (including Braille books), journals and periodicals; (b) printing of all goods falling under Chapters 48 or 49 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51of 1975) which attract State tax @2.5% or Nil.	2.5	
		(vi) Tailoring services.	2.5	
		(vii) Services by way of any treatment or process on goods belonging to another person, other than (v) and (vi) above.	9	

(xi) against serial number 32, in column (3),-

(A) against item (i), for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(B) against item (ia), for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(xii) against serial number 34, in column (3),-

(A) against item (ii), for the entry in column (4), the entry "2.5" shall be substituted;

(B) in item (iiia), the following explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation: Nothing contained in clause (b) of this item shall apply to a 'recognised sporting event'.";

(C) against item (iiia), for the entry in column (4), the entry "20" shall be substituted;

(D) against item (iv), for the entry in column (4), the entry "20" shall be substituted;

(xiii) for serial number 35 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	Heading 9997	(i) Beauty and physical well-being services falling under Group 99972.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation No. (iv)]
		(ii) Other services (washing, cleaning, and dyeing services; and other miscellaneous services including	9	-";

		services nowhere else classified). Explanation.- For the removal of doubt, it is hereby clarified that, supplies covered by item (i) in column (3) shall attract State tax prescribed against them in column (4) subject to conditions specified against them in column (5), which is a mandatory rate and shall not be levied at the rate specified under this item.		

(xiv) against serial number 38, in column (3), for the Explanation, the following explanation shall be substituted, namely:-

"Explanation:- This entry shall be read in conjunction with serial number 437 of Schedule I of notification No. 9/2025- State Tax (Rate), dated 22nd September, 2025."

(b) in paragraph 4 relating to Explanation,-

(i) for clause (xxxx), the following clause shall be substituted, namely: -
"(xxxx)'goods transport agency' means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called, but does not include
(i) electronic commerce operator by whom the services of local delivery are provided;
(ii) electronic commerce operator through whom the services of local delivery are provided";

(ii) after clause (xxxx), the following clauses shall be inserted, namely: -
"(xxxxi) 'recognised sporting event' has the same meaning as assigned to it in clause (zw) of paragraph 2 of notification No. 12/2017 -State Tax (Rate), dated 30th June, 2017, Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, section 3, sub- section(i), Sub-section (i), F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30thJune, 2017, as amended from time to time;

(xxxxii) 'handicraft goods' shall have the same meaning as assigned to it in the notification No. 32/2017 -State Tax, dated the 24th November, 2017 published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, section 3, sub- section(i), vide number F.3(45)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/749, dated the 24-11-2017 as amended from time to time;

(xxxxiii) 'mode of transport' means carriage of goods by road, air, rail, inland waterways or sea;

(xxxxiv) 'multimodal transporter' means a person who,-

(a) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and
(b) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.".

(2) with effect from the 1st day of April, 2025, in paragraph 4, in clause (xxxvi), the following Explanations shall be inserted, namely: -

"*Explanation 1*.- For the purposes of this clause, 'premises' means a place from where hotel accommodation services are being supplied or are to be supplied.

Explanation 2.- For the purpose of sub-clause (c), the expression 'a person applying for registration' shall include a person applying for amendment of registration to declare an additional place of business.".

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Mangej Singh)
Dy. Secretary (Fin.)

The principal notification No. 11/2017-State tax (rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of NCT of Delhi, Extraordinary, Part IV, section 3, sub- section(i), vide number F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/381, dated the 30th June, 2017 and was last amended, by notification No.05/2025-State tax (rate), Dated_the 30th July,2025 ,published in the Gazette of NCT of Delhi, extraordinary, Part IV, Section 3, sub-section(i), vide number F.3(15)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/719, dated the the 30th July,2025.

No. F.3 (27)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 930 **Dated: 22/09/2025**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Mangej Singh)
Dy. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई .पी .एस्टेट : नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 15/2025-राज्य कर (दर)

दिनांक:22/09/2025

फा0सं0 3(27)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ 930 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उप-धारा (1), (3) तथा (4), धारा 11 की उप-धारा (1) तथा (3), धारा 15 की उप-धारा (5), 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राज0-I)/2017-18/डीएस-VI/381 के द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017- राज्य कर (दर) के द्वारा दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(1) 22 सितंबर, 2025 से लागू होगी-

(a) सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, कॉलम (3) में, -

(क) मद (vii) के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) मद (viii) के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ग) मद (x) के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 7 के सामने, कॉलम (3) में, -

(क) मद (i) के सामने,-

(I) कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "2.5" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) कॉलम (5) में निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवा पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]";

(ख) मद (vi) के, स्पष्टीकरण के, खंड (क) में, शब्दों "के अंतर्गत मद" के पश्चात् कोष्ठकों और अंकों "(i)" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के सामने, कॉलम (3) में, -

(क) मद (v) के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "9" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के सामने,-

(क) कॉलम (3) में मद (iii) के उप-मद (ख) के सामने, कॉलम (4) में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iv) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
"(iv) भारतीय रेल के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा रेल द्वारा आधानों (कंटेनरों) से माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा कीआपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवा पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
	or	
	9	-";

(ग) कॉलम (3) में, मद (v) के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में अंक "6" के स्थान पर, अंक "9" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) कॉलम (3) में मद (vi) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

(3)	(4)	(5)
"(vi) माल का 'बहु साधन द्वारा परिवहन' (मल्टीमोडल), जहां माल को उठाने के स्थान से माल की डिलीवरी के स्थान तक परिवहन के कम से कम दो अलग-अलग परिवहन के साधनों का उपयोग 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' द्वारा किया जाता है, जैसे;		
(क) वायुमार्ग के अलावा किसी अन्य परिवहन माध्यम द्वारा माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि सेवा कीआपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवा पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट, माल के परिवहन की इनपुट सेवाओं (अर्थात अन्य सेवा प्रदाता से प्राप्त माल के परिवहन की सेवा) के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अतिरिक्त नहीं लिया गया है। आगे यह भी उपबंधित है कि जहां बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर को माल के परिवहन की इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता, 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां माल परिवहन की ऐसी इनपुट सेवाओं पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया

		जाएगा। बशर्ते कि इस मद में निहित कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी। (i) उदाहरण: 'ए' (एक बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर) बी' को नई दिल्ली से गया तक माल के परिवहन के लिए 1200 रुपये में नियुक्त करता है, जिसमें 'बी' माल की आवाजाही के लिए परिवहन के एक से अधिक साधनों का उपयोग करता है। उक्त सेवा की आपूर्ति के लिए 'बी' एक जीटीए अर्थात 'सी' को 600 रुपये में नियुक्त करता है, जो 9% की दर से केंद्रीय कर वसूलता है। 'बी' अपनी सेवाओं की आपूर्ति के लिए 400 रुपये में एक कंटेनर परिवहन ऑपरेटर 'डी' को भी नियुक्त करता है, जो 2.5% की दर से केंद्रीय कर वसूलता है। 'बी' माल परिवहन की उपर्युक्त इनपुट सेवाओं पर निम्नानुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार होगा: (ii) जीटीए की इनपुट सेवा के लिए केवल 15 रुपये (600 रुपये का 2.5%) की सीमा तक ना कि 54 रुपये। (iii) कंटेनर परिवहन ऑपरेटर की इनपुट सेवा के लिए 10 रुपये (400 रुपये का 2.5%) की सीमा तक।
(ख) हवाई मार्ग द्वारा परिवहन का कम से कम एक साधन।	9	बशर्ते कि इस मद में निहित कोई बात भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के अलावा किसी अन्य सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी।

(v) क्रम संख्या 10 के सामने,-

(क) कॉलम (3) में, मद (i) के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि में, अंक "6" के स्थान पर अंक "9" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (3) में मद (iए) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(3)	(4)	(5)
(iए) मालवाहक वाहन का किराया जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	2.5	बशर्ते कि समान व्यवसाय में इनपुट सेवा के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अलावा, सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवाओं पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें] बशर्ते कि जहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा का आपूर्तिकर्ता 2.5% से अधिक दर पर केंद्रीय कर वसूलता है, वहां समान व्यवसाय में इनपुट सेवा पर 2.5% की दर से प्रदत्त या देय कर से अधिक प्रभारित इनपुट कर का क्रेडिट नहीं लिया जाएगा।
	अथवा	
	9	-";

(vi) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12	शीर्ष 9968	(i) डाक सेवाएँ	9	-
		(ii) कोरियर सेवाएँ	9	-
		iii) स्थानीय डिलीवरी सेवाएँ (क) इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से, जहाँ ऐसी सेवाएँ प्रदान करने वाला व्यक्ति केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। (ख) उपरोक्त (क) के अलावा	9	-
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा अन्य डिलीवरी सेवाएं	9	-";

(vii) क्रम संख्या 15 के सामने, कॉलम (3) में, मद (vi) के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

(viii) क्रम संख्या 21 के सामने, कॉलम (3) में,-

(क) मद (iए) और कॉलम (4) तथा (5) में उससे संगत संबंधित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) उपरोक्त (i) और नीचे क्रम संख्या 38 के अलावा अन्य व्यावसायिक, तकनीकी और कारोबार सेवाएं";

(ix) क्रम संख्या 24 के सामने, कॉलम (3) में, मद (ii) के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "9" को प्रतिस्थापित की जाएगी;

(x) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"26	शीर्ष 9988 (अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट (माल) पर विनिर्माण सेवाएँ)	(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरों के संबंध में फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएं;	0.75	-";
		(ii) निम्नलिखित के संबंध में फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएं - (क) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 1 से 22 के अंतर्गत आने वाले सभी खाद्य और खाद्य उत्पाद; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 23 के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पाद, उक्त अध्याय के शीर्ष 2309 के अंतर्गत आने वाले कुत्ते और बिल्ली के भोजन की सामग्री को छोड़कर; (ग) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले सामान; (घ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 41 के अंतर्गत आने वाले खाल, त्वचा और चर्म उत्पाद; बशर्ते कि खंड (घ) में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 42 या 64 के अंतर्गत आने वाले चमड़े के सामान या जूते के संबंध में किए गए फुटकर कार्य पर लागू नहीं होगी, क्रमशः (ङ) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और आवधिक पत्रिकाओं का मुद्रण;	2.5	

		(च) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से केंद्रीय कर लगता है; (छ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले वस्त्र और वस्त्र उत्पाद; (ज) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 68 या 69 के अंतर्गत आने वाली ईंटें जिन पर 2.5% की दर से केंद्रीय कर लगता है; (झ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले हीरे के अलावा सभी उत्पाद; (ञ) हस्तशिल्प वस्तुएं; (ट) छाता।		
		(iii) मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा के विनिर्माण से संबंधित फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएँ;	9	
		(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के अलावा फुटकर कार्य के माध्यम से सेवाएँ।	9	
		(v) किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं, निम्नलिखित के संबंध में- (क) समाचार पत्रों, पुस्तकों (ब्रेल पुस्तकों सहित), पत्रिकाओं और पत्रिकाओं का मुद्रण; (ख) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में अध्याय 48 या 49 के अंतर्गत आने वाले सभी माल का मुद्रण, जिन पर 2.5% या शून्य की दर से केंद्रीय कर लगता है।	9	
		(vi) कपड़ा-सिलाई (टेलरिंग) सेवाएँ।	2.5	
		(vii) उपरोक्त (v) और (vi) के अलावा, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर किसी भी उपचार (ट्रीटमेंट) या प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएँ।	9	

(xi) क्रम संख्या 32 के सामने, कॉलम (3) में,-

(क) मद (i) के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5 को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) मद (iए) के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 34 के सामने, कॉलम (3) में,-

(क) मद (ii) के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2.5" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) मद (iiiए) में, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस मद के खंड (ख) में निहित कोई भी बात 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' पर लागू नहीं होगी।";

(ग) मद (iiiए) के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) मद (iv) के सामने, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "20" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"35	शीर्ष 9997	(i) समूह 99972 के अंतर्गत आने वाली सौंदर्य एवं शारीरिक स्वास्थ्य सेवाएं।	2.5	बशर्ते कि सेवा कीआपूर्ति में प्रयुक्त माल एवं सेवा पर प्रभारित इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं लिया गया है। [कृपया स्पष्टीकरण संख्या (iv) देखें]
		(ii) अन्य सेवाएँ (धुलाई, सफाई और रंगाई सेवाएँ; तथा अन्य विविध सेवाएँ, जिनमें अन्यत्र वर्गीकृत सेवाएँ भी शामिल हैं)। स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉलम (3) में मद (i) के अंतर्गत आने वाली आपूर्तियों पर कॉलम (5) में उनके सामने निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, कॉलम (4) में उनके सामने निर्धारित केंद्रीय कर लगाया जाएगा, जो एक अनिवार्य दर है और इस मद के अंतर्गत निर्दिष्ट दर पर नहीं लगाई जाएगी।	9	-";

(xiv) क्रम संख्या 38 के सामने, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि को अधिसूचना संख्या 9/2025- राज्य कर (दर), दिनांक 22 सितंबर, 2025 की अनुसूची I के क्रम संख्या 437 के साथ पढ़ा जाएगा।

(b) स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में,-

(क) खंड (xxxx) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(xxxx)'माल परिवहन एजेंसी' का अर्थ किसी व्यक्ति से है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक जिसके द्वारा स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं,
(ii) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक जिसके माध्यम से स्थानीय डिलीवरी की सेवाएं प्रदान की जाती हैं";

(ख) खंड (xxxx) के पश्चात, को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(xxxxi) 'मान्यता प्राप्त खेल आयोजन' का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, के पैराग्राफ 2 के खंड (यब) में दिया गया है जो समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 30 जून, 2017 की संख्या सं03(15)/वित्त(राज0-I)/2017-18/डीएस-VI/380, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) राजपत्र में प्रकाशित हुई थी;

(xxxxii) 'हस्तशिल्प वस्तुओं' का वही अर्थ होगा जो अधिसूचना संख्या 32/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 24-11-2017, में दिया गया है जो समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 24-11-2017 की संख्या सं03(45)/वित्त(राज0-I)/2017-18/डीएस-VI/749 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) राजपत्र में प्रकाशित हुई थी;

(xxiii) 'परिवहन के साधन के प्रकार' का अर्थ माल को सड़क, हवाई जहाज, रेल, अंतर्देशीय जल मार्ग या समुद्र के मार्ग से परिवहन किये जाने से है

(xxiv) 'बहु साधन वाले ट्रांसपोर्टर' का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो,-

(क) ऐसा अनुबंध करता है जिसके अंतर्गत वह किराये के एवज में बहुप्रकार के साधनों द्वारा परिवहन करने का वचन देता है;

(ख) प्रधान के रूप में कार्य करता है न कि किसी कंसाईनर, या कंसाईनी या किसी कैरियर, जो कि बहु प्रकार के परिवहन में भागीदारी निभाते हों, के एजेंट के रूप में काम करता हो और जो कि उक्त अनुबंध को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता हो।"

II. खंड (xxxvi) में के पैराग्राफ 4 में, 1 अप्रैल, 2025 से लागू, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण 1.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'परिसर' का अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां से होटल आवास सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति की जानी है।

स्पष्टीकरण 2.- उप-खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति 'पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति' में व्यवसाय के एक अतिरिक्त स्थान की घोषणा करने के लिए पंजीकरण में संशोधन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शामिल होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(मंगेज सिंह)
उप-सचिव (वित्त)

मूल अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 30 जून, 2017 की फा0 सं0 3(15)/वित्त(राज0-I)/2017-18/डीएस-VI/1381, के द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा जिसे अंतिम बार दिनांक 30 जुलाई, 2025 की फा0 सं0 3(15)/वित्त(व्यय0-I)/2025-26/डीएस-I/719 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित दिनांक 30 जुलाई, 2025 की अधिसूचना संख्या 05/2025-राज्य कर (दर) के द्वारा संशोधित किया गया था।

फा0सं0 3(27)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/ 930 **दिनांक:22/09/2025**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-:

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
4. नि,.सं . नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली ।
6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव (सा.प्रशा.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस अनुरोध के साथ आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में प्रकाशन हेतु ।
8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेबसाइट।
12. गार्ड फ़ाइल ।
13.

(मंगेज सिंह)
उप-सचिव (वित्त)